महिलाओं एवं वंचित समुदाय (दलित आदिवासी एवं मुस्लिम) के स्वास्थ्य अधिकारों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करवाने के लिए

# स्वास्थ्य अधिकार अभियान

सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के सामुदायिकीकरण यानि की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों जैसे *जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस* तथा *ग्राम सभा स्वस्थ्य ग्राम तर्क्य समिति* के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें व महिलाओं, बच्चों व वंचित समुदाय की बेहतर देखभाल हो सके, उन्हें इन कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए प्रयास किये गये हैं। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद निर्धन एवं गरीब परिवारों के बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में खून की कमी, असुरक्षित प्रसव,जैसी समस्यायें है। बनाई गई समितियों में समाज के वंचित समुदायों की सक्रिय सहभागिता आज भी नही के बराबर है। इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयासो में इन वंचित समाज के लोगों को जोड़ने के लिए क्या सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं यह भी बड़ा सवाल है। वंचित समुदाय की गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का न मिलना भी है।

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं जरूरतमंद लोगों को नही मिल पा रही है। स्वास्थ्य केन्द्रो में बुनियादी संसाधनों की कमी है परिणामस्वरूप पूरी जांच न होने, उपचार सेवाओं में देरी, दवाओं व समुचित रेफरल सेवाओं की कमी आदि के कारण वंचित समुदाय के लोग सेवाओं के लिए प्राईवेट व झोला छाप अकुशल चिकित्सकों से उपचार के लिए मजबूर हैं, जिस वजह से हर साल हजारों महिलाओं और बच्चों की मौत हो जाती है।

**राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-3 के अनुसार :-** म0प्र0 में 74 प्रतिशत बच्चें में खून की कमी है। इसी प्रकार आधे से अधिक महिलाएं यानि 56 प्रतिशत महिलाओं में खून की कमी है। गर्भावस्था के दौरान केवल 40.2 प्रतिशत महिलाओं की तीन जांच, 11.8 प्रतिशत महिलाओं ने आयरन की गोली का सेवन किया।

**संयुक्त राष्ट्र के आकड़ो के अनुसार भारत में हर घन्टे 6 महिलाओं की मौत गर्भावस्था से जुड़े कारणों के कारण होती है जबकि म0प्र0 में हर घन्टे एक महिला की मौत होती है। यूनिसेफ की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार 47 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है जिससे उन्हे कई स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।**

**अभियान का उद्देश्य-** गांव के स्तर पर मिलने वाली पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं व अधिकारों पर लोगों खासकर महिलाओं और वंचित समुदाय की जानकारी व जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें इसके लिए स्वास्थ्य संवाद समूह के माध्यम से सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह बनाने के लिए जनपरैवी करना, इन्ही उद्देश्यों को लेकर **'स्वास्थ्य अधिकार अभियान'** चलाया जा रहा है। यह अभियान म0प्र0 के तीन जिलो रायसेन, छिन्दवाड़ा व बैतूल के 7 ब्लाक अर्न्तगत 240 गांवों में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव स्तर पर सामुदायिक बैठकें, दीवार लेखन, रैली व पंचायत प्रतिनिधियों व सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जा रहा है। **'स्वास्थ्य अधिकार अभियान'** का समापन ब्लाक / जिले स्तर पर जन संवाद के माध्यम से किया जायेगा।

*आईये! हम सभी मिलकर महिलाओं व वंचित समुदाय के स्वास्थ्य अधिकारों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।*


**-: अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-**

AIDMAM
सत्यकाम जन कल्याण समिति, छिंदवाड़ा
सहयोग : स्वाधिकार, गांधी भवन भोपाल म.प्र.

प्रदीपन, बैतूल
तकनीकी सहयोग :सी0एच0एस0जे0, नई दिल्ली

हमारा अधिकार हमारी आवाज़
PACS
Our rights Our voice
कृषक सहयोग संस्थान, रायसेन

अर्न्तगत : निर्धनतम क्षेत्र नागरिक समाज कार्यक्रम (पैक्स) संपर्क नं. 09303576391, 08989595965, 08959492244